



Neutral Citation No. - 2026:AHC:12864

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 9887 सन् 2024

प्रताप सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अमित गोयल

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अमित गोयल और राज्य के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस.के. पाल को सुना।

2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति वर्ष 1984 में कांस्टेबल के पद पर हुई थी और उन्हें वर्ष 2003 में हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया गया था और आगे सब-इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नत किया गया था। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि वे 30.09.2022 को सेवानिवृत्त हुए थे, लेकिन याचिकाकर्ता के अनुसार, सेवानिवृत्ति के बाद अब गौतम बुद्ध नगर पुलिस विभाग के अहरण वितरण अधिकारी द्वारा 07.03.2024 को पारित आदेश के तहत 6,60,887/- रुपये की वसूली की जा रही है।

3. उक्त आदेश को चुनौती देते हुए यह रिट याचिका दायर की गई है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि उक्त आदेश पारित करने से पहले याचिकाकर्ता को कोई सूचना नहीं दी गई थी और पूरी कार्रवाई एकतरफा और पीठ पीछे की गई है। याचिकाकर्ता ने कोई तथ्य नहीं छिपाया है, न ही उसने कोई गलतबयानी की है और न ही

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



धोखाधड़ी की है। वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के *पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह (व्हाइट वॉशर) मामले (2015) 4 एससीसी 334* और *थॉमस डेनियल बनाम केरल राज्य और अन्य (2022) लाइव लॉ (एससी) 438* के निर्णयों पर भरोसा करना चाहते हैं। वह आगे निवेदन करते हैं कि प्रत्यर्थी एक अदिनांकित वचनपत्र पर भरोसा करना चाहते हैं, उनके अनुसार, अदिनांकित वचनपत्र को मान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि वह मनगढ़ंत है। वह समन्वय पीठ द्वारा रिट याचिका संख्या 8698/2024 (जनवीर सिंह रावत बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य), दिनांक 08.08.2024 को दिए गए निर्णय पर भरोसा करना चाहते हैं।

5. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का निवेदन है कि चाहे जो भी हो, एक बार कोई त्रुटि हो जाने पर नियोक्ता के लिए उक्त राशि की कटौती करना हमेशा खुला रहता है। हालांकि, उनके अनुसार, चुनौती दिए गए आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता कि याचिकाकर्ता को नोटिस दिया गया था, इसलिए मामले पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।

6. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7. स्पष्टतः, याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि अतिरिक्त राशि की वसूली का प्रयास किया गया है। चुनौती दिए गए आदेश से यह प्रतीत नहीं होता कि याचिकाकर्ता को इस संबंध में नोटिस दिया गया था। यह धोखाधड़ी, छिपाव या गलत बयानी का मामला नहीं है। वचनबद्धता के संबंध में, यह स्पष्ट नहीं है, वचनबद्धता की तिथि का उल्लेख नहीं है, याचिकाकर्ता इस पर आपत्ति जताता है।

8. तदनुसार, याचिका का निर्णय निम्नलिखित तरीके से किया जा रहा है:

(क) प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा दिनांक 07.03.2024 को पारित चुनौती दिए गए आदेश को रद्द किया जाता है।

(ख) याचिकाकर्ता को नोटिस देने के बाद मामले को कानून के अनुसार सख्ती से नया आदेश पारित करने के लिए वापस भेजा जाता है। कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, याचिकाकर्ता दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करेगा, उक्त नोटिस पर आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन महीने के भीतर आदेश पारित किया जाएगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

19 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version Not For Legal Use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।